आदेश से रीडर

18.5.16

पत्रावली कोर्ट कैम्प मदुआवाला पर पेश। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपने खाते की भूमि ग्राम मदुओंवाला ख.सं 2499/536, 2622/936 ई० जिस पर प्रार्थी संक्रमणीय भू स्वामी ख.सं 512 होकर विपक्षीगण की आराजी ख.सं 511, 510, 505

कीदक्षिणी दिशा की मेड के सहारे सहारे होकर अपनी आराजियात पर आते जाते है जो 12-13 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है व पूर्व होकर गाडी गडार बनी हुई है उक्त। प्रार्थी आराजियात पर जाने हेतु मात्र एक रास्ता है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है विपक्षीगण आए दिन रास्ता बंद कर दिया जाता है।

मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवाई जाने पर बतलाया गया की ग्राम महुआखेडा के आ.न. रास्ता 512 से आ.न. 511, 512, व 505 के दक्षिण मेड के सहारे-सहारे रास्ता बना हुआ है होकर वादी आता जाता है रास्ता चालू है।

प्रार्थना-पत्र व रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया। मौके पर रास्ता चालू होने से प्रार्थना पत्र स्वारीज किया जाता है।

आज यह निर्णय महुआखेडा कोर्ट कैम्प में सरे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाखरेज दाखिल हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा